

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,

घोड़ाखाल रोड, भवाली, जिला- नैनीताल, पिन-263132

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के भवाली स्थित परिसर में दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु पृथक-पृथक निविदाएं दिनांक 02.02.2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

(क) मेस संचालन।

(ख) साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य।

निविदा लिफाफे के ऊपर 'मेस संचालन' अथवा 'साफ-सफाई एवं बागवानी का कार्य' लिखा जाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.01.2011 से दिनांक 31.01.2011 तक अकादमी कार्यालय से कार्यदिवस में ₹ 500+13.5%VAT = ₹ 568/- नगद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं। मेस संचालन हेतु निविदा के साथ ₹ 50,000/- (पचास हजार) मात्र तथा साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र की धरोहर धनराशि राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला- नैनीताल के पक्ष में बन्धक हो लगायी जानी अनिवार्य है। अपूर्ण निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा के साथ संलग्न शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाय। निविदा का विवरण मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की वैबसाइट [http:// highcourtofuttarakhand.gov.in](http://highcourtofuttarakhand.gov.in) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) की वैबसाइट www.ua.nic.in पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (लेखा)

साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र का वैट सहित मूल्य ₹ 568 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु
प्रपत्र सं०.....
कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम :.....
2. फर्म के स्वामी का नाम
3. फर्म का स्थानीय पता
- (दूरभाष संख्या सहित)
4. स्थानीय प्रतिनिधि का नाम
- (दूरभाष संख्या सहित)
5. फर्म का स्थायी पता
6. आयकर पंजीकरण एवं पैन (PAN)
7. व्यापार कर
- पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र
8. धरोहर धनराशि का विवरण : —
 - (अ) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
 - (ब) एफ0डी0आर0 संख्या
 - (स) धनराशि
9. साफ-सफाई कार्य हेतु श्रमिकों के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह अंकित की जाय.....
10. बागवानी कार्य हेतु श्रमिकों के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह अंकित की जाय

संलग्नक— 1— नियम एवं शर्तें

निविदादाता फर्म की मुहर एवं
हस्ताक्षर

साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

प्रतिबन्ध—

निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार अनुबन्ध किया जायेगा और निविदा/अनुबन्ध में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और अनुपालन न होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

शर्तें :

- 1— निविदादाता/फर्म का अपना पैन (PAN) व आयकर प्रमाण-पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाए।
- 2— निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना चाहिए।
- 3— निविदा पत्र के साथ अर्नेस्टमनी के रूप में ₹ 15,000.00 (पन्द्रह हजार) मात्र किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के नाम बन्धक हो संलग्न किया जाए। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की वैध अवधि 31.03.2012 के पश्चात् कम से कम 2 माह तक की होगी।
- 4— सफाई कार्य हेतु न्यूनतम 6 व्यक्तियों तथा बागवानी कार्य हेतु न्यूनतम 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कार्य के दृष्टिगत कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- 5— निविदादाता फर्म श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।
- 6— निविदादाता फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व अकादमी परिसर एवं भवनों का भली-भांति निरीक्षण कर लिया जाए।
- 7— निविदादाता फर्म का दायित्व होगा कि श्रम विभाग के शासनादेश के अनुरूप अनुमन्य सुविधाओं को दिये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र ₹ 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8— निविदादाता फर्म को श्रमिकों के नाम व पते पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- 9— जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे श्रमिकों का पुलिस सत्यापन अथवा दो सम्भ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- 10— किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार (बिना कारण बताये) अकादमी द्वारा गठित समिति का होगा।

- 11— नियोजित श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
- 12— फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गए श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
- 13— फर्म की बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफता श्रमिक को कार्य पर नहीं लगायेगा।
- 14— अकादमी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।
- 15— फर्म द्वारा नियोजित किए गए श्रमिकों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का दायित्व होगा। सम्बन्धित कानून की जानकारी न होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
- 16— अकादमी परिसर में एकत्रित कूड़े/मलवे का निस्तारण नियत स्थान पर निविदादाता फर्म को स्वयं करना होगा।
- 17— श्रमिक/श्रमिकों की कार्य से अनुपस्थिति रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य को फर्म द्वारा नियोजित किया जाएगा। फर्म द्वारा ऐसा न करने पर श्रमिक/श्रमिकों का उस अनुपात में पारिश्रमिक काट लिया जाएगा तथा फर्म पर शास्ति स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10% की कटौती की जा सकेगी।
- 18— निविदादाता फर्म को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि प्रशासनिक भवन एवं Class Room की सफाई प्रातः 09.15 बजे तक हो जाए।
- 19— निविदा से स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये प्रभावी होंगी।

सहायक निदेशक

मेस संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र का वैट सहित मूल्य ₹ 568 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु
प्रपत्र सं०.....
कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम :.....
2. फर्म के स्वामी का नाम
3. फर्म का स्थानीय पता
- (दूरभाष संख्या सहित)
4. स्थानीय प्रतिनिधि का नाम
- (दूरभाष संख्या सहित)
5. फर्म का स्थायी पता
6. आयकर पंजीकरण एवं पैन (PAN)
7. व्यापार कर
- पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र
8. वार्षिक टर्न ओवर एवं विगत वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण तथा लागत.....
-
9. धरोहर धनराशि का विवरण : –
(अ) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
- (ब) एफ0डी0आर0 संख्या
- (स) धनराशि
10. शर्तों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाए ।
11. संलग्न मेन्सू के अनुसार दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर अंकित की जाय
-

संलग्नक– 1– नियम एवं शर्तें
2– मेन्सू

निविदादाता फर्म की मुहर एवं
हस्ताक्षर

मेस कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

प्रतिबन्ध—

निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार अनुबन्ध किया जायेगा और निविदा/अनुबन्ध में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और अनुपालन न होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

शर्तें :

- 1— निविदादाता/फर्म का अपना पैन (PAN) व आयकर प्रमाण-पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जाए।
- 2— निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना चाहिए।
- 3— रेस्टोरेन्ट व्यवसाय करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत खाद्य एवं पेय लाईसेंस वैध होना चाहिए।
- 4— अकादमी परिसर में मादक पदार्थों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। परिसर धूम्रपान रहित क्षेत्र है।
- 5— निविदादाता/फर्म को रेस्टोरेन्ट व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव हो तथा 3 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹ 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) हो। निविदादाता/फर्म का स्वयं का रेस्टोरेन्ट प्रतिष्ठान हो।
- 6— निविदादाता/फर्म को अनुभवी कर्मी— एक मैनेजर, एक कुक, एक मसालची तथा दो वेटर रखने होंगे।
- 7— मेस संचालन के लिए क्राकरी/बर्तनों की व्यवस्था निविदादाता/फर्म द्वारा की जायेगी।
- 8— मेस की भोजन व्यवस्था स्वच्छतापूर्ण एवं गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए।
- 9— निविदा पत्र के साथ अर्नेस्टमनी के रूप में ₹ 50,000.00 (पचास हजार) मात्र किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफडीआर, निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के नाम बन्धक हो संलग्न किया जाए। धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि 31.03.2012 के पश्चात् कम से कम 2 माह तक की होगी।
- 10— निविदादाता फर्म श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।
- 11— निविदादाता फर्म को कार्मिकों के नाम व पते पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।

- 12— जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे कर्मियों का सत्यापन/चरित्र प्रमाण-पत्र जो दो सम्भ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत हों, अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- 13— किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार (बिना कारण बताये) अकादमी द्वारा गठित समिति का होगा।
- 14— नियोजित कर्मियों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
- 15— फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गए कर्मियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
- 16— फर्म की बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफता कर्मियों को कार्य पर नहीं लगायेगा।
- 17— कार्य निष्पादन असंतोषजनक होने पर या तैनात कर्मियों की लापरवाही अथवा विफलता के कारण संस्थान को किसी प्रकार की हानि होने पर जमानत राशि जब्त अथवा विनियोजित कर ली जायेगी।
- 18— निविदा से स्वीकृत दरें सामान्यतः वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये प्रभावी होंगी।

सहायक निदेशक

मेन्यू (Menu)

	नास्ता	लंच	डिनर
सोमवार	(1) पराठा (स्टफड) (2) दही	(1) रोटी (2) दाल मखानी (3) चावल (4) सिजनल वेज (5) शब्जी	(1) रोटी (2) दाल (3) चावल (4) मिक्स वेज (5) पनीर (शाही / मटर) (6) एग करी
मंगलवार	(1) हलवा / उपमा (2) दही जलेबी	(1) रोटी (2) दाल मिक्स (3) चावल (4) पनीर (5) मिक्स वेज	(1) रोटी (2) दाल (3) चावल (4) सीनजल वेज (5) पनीर (शाही या मटर)
बुधवार	(1) डोसा / इडली (2) अंडे / आमलेट	(1) रोटी (2) दाल राजमा (3) चावल (4) सब्जी (5) सीनजल वेज	(1) रोटी (2) दाल मखानी (3) चावल (4) पनीर (5) मिक्स वेज
वृहस्पतिवार	(1) पूरी भाजी	(1) रोटी (2) दाल मिक्स (3) पुलाव (4) सब्जी (5) सिजनल वेज	(1) रोटी (2) दाल (3) चावल (4) वेज (5) पनीर
शुक्रवार	(1) छोले- भटूरे (2) अंडे / आमलेट	(1) रोटी (2) दाल (3) चावल (4) कढ़ी (5) सिजनल वेज	(1) रोटी (2) दाल मिक्स (3) चावल (4) मिक्स वेज (5) पनीर (साही / मटर) (6) नान वेज (मटन, चिकन, फिश)
शनिवार	(1) दलिया (2) पोहा	(1) रोटी (2) दाल मिक्स (3) चावल (4) पनीर, (5) मिक्स वेज	(1) रोटी (2) दाल मिक्स (3) चावल (4) सीनजल वेज (5) पनीर (साही / मटर)

रविवार	(1) हलवा/उपमा (2) दही-जलेबी	(1) रोटी (2) दाल यलो (3) पुलाव (4) सब्जी (5) सिजनल वेज	(1) रोटी (2) दाल मिक्स (3) चावल (4) पनीर (5) मिक्स वेज
--------	--------------------------------	--	--

उपर्युक्त मेन्यू के साथ निम्नलिखित शर्तें रहेंगी :-

1. नास्ते में- दूध-कार्नापलेक्स, काफी/टी, फल (मौसमी), टोस्ट (बटर व जैम सहित) प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा।
2. लंच एवं डिनर में- सलाद, अचार, पापड, रायता/दही प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा।
3. डिनर में-स्वीट डिश, सूप, (वेजीटेबिल, क्रीम टैमेटो, वेज स्वीट कार्न, कोरिएन्डर आदि) प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा।
4. (i) बेड टी (ii) क्लास रूम में दिन में तीन बार चाय तथा साथ में नमकीन और विस्कूट हों (iii) इविनिंग टी के साथ स्नेक्स होंगे।